प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग लखनऊ दिनांक 30 अक्टूबर, 2017

विषय: आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत 34 डिजिटल मल्टीफंक्शनल कापियर मशीनों का क्रय।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2071/लेखा/आधु0-20/2016-(डि0म0फं0का0म0) दिनांक 25.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-3/2017/338/पन्चानबे-2017-7 बजट/2015 दिनांक 31.03.2017 द्वारा आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत 34 डिजिटल मल्टीफंक्शनल कापियर मशीनों के क्रय हेतु कुल रू0 59,24,665/- (रूपये उन्सठ लाख चौबीस हजार छ: सौ पैसठ मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति तथा शासनादेश संख्या-5/2017/527/पन्चानबे-2017-7 बजट/2015 दिनांक 31.03.2017 द्वारा रूपये 23,69,866/- के अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

3. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में जी0एस0टी0 एवं समस्त करो सहित प्रति मशीन रू0 1,74,213.12 की दर से 34 डिजिटल मल्टीफंक्शनल कापियर मशीनों के क्रय हेतु कुल रू0 59,23,246/- (रूपये उन्सठ लाख तेईस हजार दो सौ छियालिस मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) डिजिटल मल्टीफंक्शनल कापियर मशीनों का क्रय नियमानुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) विभागाध्यक्ष द्वारा उक्त 34 डिजिटल मल्टीफंक्शनल कापियर मशीनों का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/ सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 23.08.2017 एवं संगत शासनादेशों के अनुसार गर्वमेन्ट ई-मार्केट प्लस (जेम) के माध्यम से किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार आवश्यकता के दृष्टिगत 34 डिजिटल मल्टीफंक्शनल कापियर मशीनों का क्रय सुसंगत नियमों अर्थात

.........2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

प्रक्योमेन्ट मैनुअल में विहित व्यवस्थानुसार ही किया जायेगा।

(4) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि क्रय किये गये डिजिटल मल्टीफंक्शनल कापियर मशीनों की गुणवत्ता निर्धारित मानको के अनुरूप हो।

(5) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि क्रय किये जा रहे डिजिटल मल्टीफंक्शनल कापियर मशीनों का भुगतान तभी किया जायेगा जब क्रय की गई वस्तु की आपूर्ति निर्धारित मानक के अनुरूप हो, एवं स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय किसी भी दशा में नही किया जायेगा।

(6) उक्त डिजिटल मल्टीफंक्शनल कापियर मशीनों के क्रय में यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरादायित्व विभागाध्यक्ष को होगा।

3. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-74 के लेखाशीर्षक 4070-अन्य प्रशासनिक सेवायें पर पूंजीगत परिव्यय, 800-अन्य व्यय 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 0102-होमगाडर्स विभाग की आधुनिकीकरण योजना की मानक मद 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-1015/दस-2017, दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
सत्येन्द्र कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-27/2017/1530(1)/पन्चानवे-17 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्री एम0के0 भारद्वाज, अनु सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या-21011/58(II)/2014-पी0एम0-1, दिनांक 09.10.2014 के क्रम में।
2. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, होमगाडर्स मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
6. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. गार्ड फाइल/सम्बन्धित सहायक

आज्ञा से,
सत्येन्द्र कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।